राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ 1(1)(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2014/ 11871-74 जयपुर,दिनांक 2

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः–खरीफ फसल 2014 (सम्वत् 2071) में प्रभावित किसानों के आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधी (NDRF सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अ खरीफ फसल 2014 में 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा वाले पात्र काश्तकार एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदण्डानुसार (अभावघोषणा तिथि से 31 जुलाई, 2015 तक लघु/सीमान्त काश्तकारों को अधिकतम 2 हैक्टयर तक एवं लघु/सीमान्त से भिन्न काश्तकार अधिकतम 1 हैक्टयर तक कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावे।

इस हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. जिला कलक्टरों द्वारा योजना का क्रियान्वयन एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्डा दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–

जिला स्तरीय समितिः–जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कि जाऐगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में स एवं सहकारिता/केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। इस समिति के ह इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण कि जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय उपसमितिः–उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व सहकारिता विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारू कियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समितिः–इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक तथा सहकारिता विभाग/समिति का स्थानीय कर्मचारी सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की कियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए पटवारी द्वारा जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिर्पोट के आधार पर अपने क्षेत्र के सीमान्त, लघु एवं अन्य (other than SMF) कृषकों की सूची पृथक्–पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाऐगीः–

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम..... पटवार हल्का.....तहसील.....

क्र. सं.	कृषक का नाम मय सकूनत	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में) (50 प्रतिशत या इससे अधिक)	एसडीआरए फ/ एनडीआरए फ मानदण्डों के अनुरूप देय अनुदान	बैंक खाते का वितरण	
						बैंक मय शाखा का नाम	काश्तकार का खाता संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

हल्का पटवारी उक्त ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से अपने हल्के की सूचियां तैयार कर राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और राजस्व निरीक्षक इन सूचियों को सत्यापित कर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे, जो इनके आधार पर कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे। तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के सहयोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत की गयी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त प्रकिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी तहसील के लिए इसी आधार पर आवश्यक बजट की मांग जिला कलक्टर से की जावेगी।

4. इस प्रयोजन हेतु उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा। सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल

हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।

5. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने ठेकेपर की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

6. संबंधित जिला कलक्टर, कृषि आदान अनुदान मद में प्राप्त राशि, इकजाई, अपने जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा कराकर जिले के प्रभावित कृषकों की सूची, उन्हें देय अनुदान राशि के विवरण सहित, उक्त बैंक को यथाशीघ्र उपलब्ध करावेगें, ताकि सहकारी बैंक सूची अनुसार राशि उन काश्तकारों के बैंक/मिनीबैंक खातों में तुरन्त हस्तान्तरित कर सकें।

7. **असिंचित भूमि के संबंध में**:–जहां तक भूमि के सिंचित/असिंचित होने का प्रश्न है, चूंकि जिला अभावग्रस्त है तथा वर्षा भी पर्याप्त नहीं हुई है। अतः भूमि सिंचित श्रेणी में होने के पश्चात भी वस्तुतः बारानी/वर्षा आधारित ही रही है। ऐसी स्थिति में फसल खराबा वाली समस्त भूमि को असिंचित मानते हुए ही गणना की जावेगी।

8. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में**:– यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।

9. **गैर खातेदारी के संबंध में**:–गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।

10. **खराबे का रकबा की गणना**:–इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि खसरा गिरदावरी में जिस–जिस खसरे में बोये गये रकबे के विरूद्ध 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा दर्ज किया गया है, तो उस खसरे का वह सम्पूर्ण बोया गया रकबा कृषि आदान अनुदान के लिए पात्र मानते हुए गणना में शामिल किया जावेगा।

11. **मृतक खातेदारः**—मृतक खातेदारों के वैध उत्तराधिकारियों को इस राशि का भुगतान किया जा सकता है।

12. **जिले से बाहर रहने वाले काश्तकारः**—यदि बैंक खाता खोला जाना संभव नहीं है तो ऐसा भुगतान चैक द्वारा किया जा सकता है।

13. **विवादित भूमि के संबंध में:**—कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा मे प्रभावितों को बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा।

14. **मन्दिर माफी भूमिः**—मन्दिर के नाम भूमि पर काश्त करने वाले व्यक्ति/पुजारियों को मन्दिर के ट्रस्टी द्वारा स्टाम्प पेपर पर यह सहमति प्राप्त कर लेवे की काश्त उक्त व्यक्ति/पुजारियों द्वारा की गई है जो इस कृषि आदान अनुदान सहायता प्राप्त करने के हकदार है। मन्दिर में ट्रस्ट नहीं बना हुआ है ऐसे काश्तकारों द्वारा स्टाम्प पेपर पर यह सहमति प्राप्त कर लेवे कि भविष्य में वाद विवाद होगा तो स्वयं काश्त करनेवाला जिम्मेदार होगा।

15. **सरकारी सेवा में कार्यरतः**—व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार लघु एवं सीमान्त कृषक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय के आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जावेगा।

16. **बजट की मांगः**—जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यहा सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खाता खुलने की कार्यवाही तहसील स्तर पर पूर्ण हो चुकी है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।

17. **बैंक खाताः**—समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ही किया जावेगा, न कि नकद। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं है, उनके नये खाते सहकारी बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से खुलवाने होंगे। इस सम्बन्ध में कोई भी समस्या आने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता व रजिस्ट्रार सहकारिता से सम्पर्क कर सकते है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला कलक्टर से प्राप्त राशि को प्राप्त होते ही सर्वप्रथम अपने खाते मे जमा करलें। तत्पश्चात जैसे—जैसे तहसील कार्यालय से प्राभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे—वैसे, बिना विलम्ब के, उन काश्तकारों के बैंक/मिनीबैंक

खातों में देय राशि हस्तान्तरित करते जावे। जिन काश्तकारों के पूर्व में बैंक खाते नहीं है, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक/मिनीबैंक में खुलवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की ऐजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा।

कृषकों के खातों में राशि जमा की साप्ताहिक सूचना, के.सह.बैंक द्वारा जिला कलक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी। जिला कलक्टर साप्ताहिक प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराऐंगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

भुगतान की कार्यवाही यथा 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करली जावें। सभी जिला कलक्टर किसी भी हालत में 31 मार्च, 2015 के पूर्व उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उक्ता अनुसार जिलवार आवश्यक बजट मांग ऑन लाईन भिजवाने पर बजट आवंटन किया जावेगा।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

शासन सचिव
25/11/14

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव (कृषि)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।

संयुक्त शासन सचिव